रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239254
CG-DL-E-30092022-239254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 669]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 751(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) बशर्ते,अन्यथा इन नियमों में निहितानुसार, ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 125 के उप-नियम (9क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9ख) उप नियम (9) और (9क) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस नियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित परिभाषाएं और परंतुक लागू होंगे:

01 अक्टूबर, 2023 के बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों में दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग्स, फ्रंट रो आउटबोर्ड में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक लगाया जाएगा और ऐसे एयरबैग्स की आवश्यकता को एआईएस-099 के अनुपालन के साथ सत्यापित किया जाएगा।

इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण:

i) "साइड/साइड टोरसो एयर बैग" अभिव्यक्ति का तात्पर्य किसी भी इन्फ्लेटेबल ऑक्यूपेंट रेस्ट्रेंट डिवाइस से है जो कि सीट या वाहन के इंटीरियर की साइड संरचना पर लगाया जाता है, और जिसे मुख्य रूप से धड़ की चोट को कम करने और / या सवार को बाहर निकलने में, फ्रंट रो आउटबोर्ड में बैठने वाले व्यक्तियों की मदद करने के लिए साइड इफेक्ट क्रैश लगाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

बशर्ते, साइड/साइड टोरसो एयर बैग्स वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित अन्य क्रैश मोड में भी लगे हो सकते हैं।

ii) "साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग" अभिव्यक्ति का तात्पर्य किसी भी इन्फ्लेटेबल ऑक्यूपेंट रेस्ट्रेंट डिवाइस से है, जो वाहन के इंटीरियर के साइड स्ट्रक्चर पर लगा होता है, और जिसे मुख्य रूप से सिर की चोट को कम करने और/ या आउटबोर्ड में बैठने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए साइड इंपेक्ट क्रैश या रोलओवर में लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बशर्ते, साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग निर्माता द्वारा यथा निर्धारित अन्य क्रैश मोड में भी लगे हो सकते हैं।"

[फा.सं. आरटी-11028/16/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ...., दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए हैं।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 751(E).— The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, on the email: comments-morth@gov.in

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

<u>Draft Rules</u>

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after sub-rule (9A) of rule 125, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9B) Notwithstanding anything contained in sub rule (9) and (9A), for the purpose of this rule following definitions and provisos shall apply:

Vehicles of category M1, manufactured after 01st October, 2023**,** shall be fitted with two side/side torso air bags, one each for the persons occupying front row outboard seating positions and two side curtain/tube air bags, one each for the persons occupying outboard seating positions and the requirement for such airbags shall be verified with compliance to AIS-099, as amended from time to time.

Explanation for the purpose of this sub-rule:

i) The expression "Side/side torso air bag" means any inflatable occupant restraint device that is mounted to the seats or side structure of the vehicle interior, and that is designed to deploy in a side impact crash to help mitigate primarily torso injury and/or occupant ejection, for the persons occupying front row outboard seating positions

Provided that side/ side torso air bags can also deploy in other crash modes as determined by the vehicle manufacturer.

ii) The expression "Side curtain/tube air bag" means any inflatable occupant restraint device that is mounted to the side structure of the vehicle interior, and that is designed to deploy in a side impact crash or rollover to help mitigate primarily head injury and/or occupant ejection for the persons occupying the outboard seating positions.

Provided that side curtain/tube air bags can also deploy in other crash modes as determined by the manufacturer.”.

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]
MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 02nd June 1989 and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA